निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 777) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

4 अप्रील 2015

सं0 83—नवादा जिलान्तर्गत रजौली अंचल स्थित उदासीन संगत, रजौली पर्षद के अर्न्तगत निबंधित एक सार्वजनिक धर्मिक न्यास है। इसका निबंधन संख्या–426 है।

यह उदासीन सम्प्रदाय का एक प्रमुख संगत (मठ) है। रजौली स्थित संगत प्रधान मठ है एवं इसकी तीन शाखएं है। अकबरपुर संगत, राजगीर संगत एवं देवघर संगत। इस न्यास के न्यासधारी महंत नरेश बक्स दास के निधन के पश्चात पर्षद द्वारा महंत राम रतन बक्स दास को पर्षदीय नत्रांक 1410 दिनांक 05.012.2007 द्वारा अस्थायी न्यासधारी एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। अस्थायी न्यासधारी की यह अवधि दिनांक 04.12.2008 को समाप्त हो गयी । इसके उपरांत वे इस न्यास के महंत/न्यासधारी नहीं रहे। अतः उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का का अधिकार नहीं था। दसलिए उनके द्वारा अपने बड़े पुत्र श्री भोला पाण्डेय उर्फ भोला बक्स दास के पक्ष में Power of Atorny लिखने का भी कोई विधिक अधिकार नहीं था। इस तरह न्यासधारी का पद रिक्त रह गया।

इस न्यास कर सम्पत्तियों के अवैध हस्तानान्तरण, मठ कर भुखंडों पर बाहुबलियों द्वारा अतिक्रमण तथा कुव्यवस्था के कारण न्यास को आर्थिक क्षति पहुचाने आदि बिन्दुओं पर माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी०उब्लू०जे०सी० नं० 13897/2014 में दिनांक 23.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में पर्षद के पदाधिकारियों द्वारा इस न्यास का स्थानीय निरीक्षण कराया गया और जांच प्रतिवेदन में सम्पत्ति के अवैध अंतरण एवं आय के दुर्विनियोग एवं दुरूपयोग की पुष्टि की गयी।

धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष द्वारा भी इस न्यास का निरीक्षण दिनांक 03.04.2015 को किया गया, जिसमें स्थानीय पदाधिकारी के अतिरिक्त बड़ी संख्या में भक्त एवं स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। न्यास के वर्त्तमान स्थिति एवं स्थानीय लोगों की राय जानने के पश्चात् न्यास की सुव्यवस्था के लिए तत्काल एक न्यास समिति के गठन की आवश्यकता महसुस की गयी और न्यास स्थल पर उपस्थित लोगों की सहमति से पांच नामों की एक सूची तैयार की गयी।

उपर्युक्त परिस्थितियों में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन तथा इसके सम्यक् विकास हेतु अधिनियम की धारा–32 के अर्न्तगत एक योजना का निरूपण एवं न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतः बिहार हिन्दु धार्मिक न्याय अधिनियम, 1950 की धारा–32 के अर्न्तगत धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं० 43(द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए नवादा जिलान्तर्गत रजौली अंल स्थित उदासीन संगत, रजौली के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की घारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''उदासीन संगत रजौली न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नामब ''उदासीन संगत रजौली न्यास समिति'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. उदासीन संगत रजौली एवं इसके सभी शाखा मठों (संगत) एवं इसकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संरक्षण, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार उदासीन संगत रजौली न्यास समिति में निहित होगा।

3. न्यास समिति संगत में परम्परागत पूजा अर्चना, धार्मिक आचारों का निर्वहन तथा साधु–अभ्यागतों की सेवा सुनिश्चित करेगी।

4. न्यास समिति की असली कसौटी होगी कि वह बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–43 के तहत बिहार हिन्दु धार्मिक न्यायाधिकरण में अतिक्रमित भूमि की वापसी हेतु वाद कायम करें एवं अतिक्रमित भूमि को पुनः न्यास में वापसी हेतु हर संभव प्रयास करें। साथ ही अन्य सक्षम न्यायालयों में भी न्साय की भूमि की वापसी हेतु वादों को संस्थित कर वापसी का प्रयास करे।

5. अधिनियम की धारा–44 के अनुसार धार्मिक न्यास की किसी अचल सम्पत्ति का न्यासी के द्वारा विक्रय, रेहन, दान या वदलैन के रूप में या तीन वर्ष से अधिक पट्टा के रूप में किया गया कोई भी अंतरण विधि मान्य नहीं होगा, जबतक की वह पर्षद की पूर्व मंजूरी के बिना न किया गया हो।

6. न्यास की आय व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

7. न्यास समिति अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत एवं पर्षद शुल्क आदि सम्यक् रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

9. न्याय समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास की समग्र आय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी और बैंक खाता का संचालन न्यास समिति का अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

11. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

12. न्यास समिति में कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास में लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकराण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूति होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली, नवादा–अध्यक्ष
2. पुलिस उपाधिक्षक, नवादा–उपाध्यक्ष
3. श्री रामचन्द्र प्रसाद, पिता–श्री सिसताराम साव, रजौली, नवादा–सचिव
4. श्री सुरेश मालाकार, पिता–स्व० जगदीश मालाकार, रजौली–कोषाध्यक्ष
5. श्री संजय कुमार उर्फ बब्लु प्रसाद, स्व० वीर लखन प्रसाद, रजौली–सदस्य

न्यास समिति अभी पांच सदस्यीय होगी। भविष्य में व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए और सदस्य नियुक्त किये जायेंगे।

यह योजना तत्काल प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। एक वर्ष के उपरांत कार्यों की समीक्षा होगी बौर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समिति की निरन्तरता कायम रहेगी।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 777-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in